

(ISO 9001: 2015 Certified)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दुमका

—: अल्पकालीन निविदा :-

मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक (N)480 दिनांक 28.02.2018 एवं पत्रांक (N)1623 दिनांक 19.06.2019 के आलोक में मनरेगा अंतर्गत आम वृक्षारोपण बागवानी हेतु दुमका जिला अन्तर्गत सभी प्रखण्डों में खाद्य सामग्रियों का क्रय किया जाना है। जिले में पंजीकृत ग्राम संगठन/कृषक उत्पादक कंपनी/कृषक उत्पादक समूह/कृषक कॉ-ऑपरेटिव जिनके पास नीचे अंकित सामग्रियों के कारोबार करने का प्रमाण पत्र एवं TIN No. उपलब्ध है, इच्छुक निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है :-

Sl.	Name of Material
1	Vermi Compost
2	Trichoderma
3	Bone Meal / SSP
4	Karanj / Neem oil cake
5	Dolomite or equivalent
6	Firadon 3G/ Femvairate-D or equivalent
7	Suphaia or equivalent
8	Urea
9	Purethan Spray in Pits
10	Mancozeb+Carbendazim or equivalent for Spraying
11	Quinalphos Chloropynphos Spray
12	Blue coper Paint for Plant stock
13	Micronutrient or equivalent

निविदादाताओं के निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप दर अंकित करनी होगी :-

1. निविदा के साथ अधिकृत आपूर्तिकर्ता/निर्माता होने का प्रमाण पत्र तथा गुणवत्ता का टेस्ट रिपोर्ट का प्रमाण पत्र अन्य संबंधित कागजातों यथा प्रायकर रिटर्न (2016-17, 2017-18 एवं 2018-19), GST निबंधन, Sales Tax Clearance, शपथ पत्र, प्राधिकृत पत्र, पैन कार्ड आदि का छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. कार्यस्थल तक सामग्री आपूर्ति करने हेतु सभी प्रकार के कर, परिवहन एवं हथालन व्यय आदि सहित दर का उल्लेख करना अनिवार्य है।

3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति आदेश के आलोक में आपूर्ति किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता अपनी पक्की रसीद के साथ संबंधित लाभुकों से एक संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही पंचायत में जमा करेगा।
4. आपूर्तिकर्ता कार्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं ऐसे स्थिति में भुगतान देय नहीं होगा।
5. निविदादाता को अग्रधन के रूप में 10000.00 (दस हजार) रुपये उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, दुमका के नाम से जमा करना होगा।
6. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के आदेश आपूर्ति की तिथि से एक सप्ताह के अंदर निर्दिष्ट स्थल पर सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।
7. निविदा दिनांक 03/08/19 के अप0 02:00 बजे तक उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, दुमका द्वारा प्राप्त की जायेगी तथा उसी दिन अप0 03:00 बजे निविदादाता या प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। लिफाफे पर साफ-साफ शब्दों में Plantation Of MGNREGA अंकित कर जमा कर सकते हैं।
8. आपूर्तिकर्ता के द्वारा खाद्य सामग्रियों को योजना स्थल तक आपूर्ति किया जाना है।
9. निविदा की शर्तों में संशोधन करने या बिना कारण बतायें किसी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने अथवा आपूर्तिकर्ता को कार्यादेश निर्गत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

३०/—

उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक
दुमका।

ज्ञापांक...111.6...../जि0ग्रा0वि0अभि0

दुमका दिनांक...24-07-19

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से ससमय प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दुमका जिला के वेबसाईट www.dumka.nic.in पर उक्त निविदा की विवरणी अपलोड करना सुनिश्चित करें।

उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक
दुमका।